भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3643
17 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के अंतर्गत आवासों का निर्माण

3643. श्री देवेश चन्द्र ठाकुर:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के अंतर्गत आवासीय परियोजना के अधीन आवासों के निर्माण हेतु आबंटित धनराशि पर्याप्त नहीं है;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई नई योजना कार्यान्वित की है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ग): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में 20,050 करोड़ रुपए के निवेश के पर, मात्स्यिकी क्षेत्र के स्थायी (सस्टेनेबल) और जिम्मेदार विकास तथा मछुआरों के कल्याण के माध्यम से नीली क्रान्ति (ब्लू रेवोल्यूशन) लाने हेतु एक प्रमुख योजना - 'प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) का कार्यान्वययन किया जा रहा है। हालांकि पीएमएमएसवाई के तहत मछुआरा समुदायों को आवास की सुविधा प्रदान करने के प्रावधान की परिकल्पना नहीं की गई है तथापि इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ मछुआरों और मत्स्य किसानों के लिए कई कल्याण संबंधी गतिविधियों की परिकल्पना की गई है जिनमें (i) पर्यावरणीय नुकसान (डिग्रेडेशन) को कम करने के लिए सस्टेनेबल तरीके से मात्स्यिकी प्रथाओं को अपनाते हुए मछुआरों के आर्थिक और सामाजिक लाभ में वृद्धि करने के उद्देश्य से समुद्री राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड मॉडर्न कोस्टल फिशिंग विल्लेजस का विकास करना, ii) दुर्घटनावश मृत्यु या स्थायी पूर्ण शारीरिक अक्षमता पर 5.00 लाख रुपए, दुर्घटनावश स्थायी आंशिक शारीरिक अक्षमता पर 2.50 लाख रुपए तथा दुर्घटनावश अस्पताल में भर्ती होने पर 25,000 रुपए का बीमा लाभ प्रदान करना (iii) मछली पकड़ने पर प्रतिबंध/मंद अवधि के दौरान मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना शामिल है । इसके अतिरिक्त, 2015-16 से 2019-20 तक कार्यान्वित की गई नीली क्रांति: मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन पर केंद्र प्रायोजित योजना के तहत, मछुआरों के लिए कुल 18,886 घर स्वीकृत किए गए और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस उद्देश्य के लिए 104.69 करोड़ रुपए की केंद्रीय निधि जारी की गई।

****